लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष 91–0755–2583659 फेक्स 91–0755–2583651. ईमेल–dpividhya@gmail.com

क्रमांक विद्या/एस/आत्महत्या/156/2017/ 1304 भोपाल, दिनांक 05-05-20

प्रति,

1–समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

2–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

3–समस्त प्राचार्य, शास. हाई स्कूल/उ.मा.वि. मध्यप्रदेश।

विषय : बच्चों द्वारा आत्महत्या जैसे घातक कदम रोकने हेतु प्रेरणा संवाद जैसे कार्यक्रम चलाने बाबत् आयोग की अनुशंसा ।

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत अध्यक्ष मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल द्वारा मान. राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा को अनुशंसा पत्र प्रेषित किया है। पत्र में लेख किया है कि छात्र परीक्षाओं से पहले और परीक्षा परिणाम आने के बाद में तनावग्रस्त होकर अप्रिय निर्णय ले लेते हैं, जो कि बहुत दुखद है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाया जाना अपेक्षित है, ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये, जिससे बच्चे की सतत् निगरानी की जा सके। आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसा की गई है –

> "स्कूलों में पेरेन्ट्स मीटिंग के दौरान पालकों और बच्चों के साथ बातचीत कर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये एवं अधिकारियों द्वारा इन कार्यक्रमों की सतत निगरानी की जाती रहे। बच्चों के हित व कल्याण के लिए ऐसे प्रयासों का किया जाना जरूरी है, प्रेरणा संवाद जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों में एक सार्थक पहल है।"

उपरोक्तानुसार आयोग की अनुशंसा का पालन सुनिश्चित किया जाये। संकुल विद्यालय के प्राचार्य मॉनिटरिंग का कार्य सम्पादित करने के साथ, समय–समय पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें।

(नीरज दुबे)

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक विद्या/एस/आत्महत्या/156/2017/ 1305 भोपाल, दिनांक 05-05-20

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यमंत्री जी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर पत्र क्रमांक अ.शा.369/2018/ दिनांक 8–2–2018 के पालन में प्रेषित।
2. माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 59 नर्मदा भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक अर्द्ध.शास.331/दिनांक 3–2–2018 के पालन में प्रेषित।

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश